

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अदालत.....

उपरवाह अधिकारी वायतु

जिला-बाड़मेर

मुकाम.....

बनाम.....

सुभाराम

सुभाराम

किस्म मुकदमा.....

राजस्थान

नं.

284/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/06/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रविशंकर मिश्रा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 112</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26/7/22</u> को पेश हो।</p>	<p>उपरवाह अधिकारी वायतु जिला-बाड़मेर</p>
26/07/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिष्ठित/विप्रार्थी- जानों के नोटिस पूर्व जरिये रजि- स्टर्ड एडी मिजवाये जज के जिन एडी सुनने प्राप्त नहीं हुई है इल्लज हो (पत्रावली) दिनांक 24/08/2022 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु जिला - बाड़मेर</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपस्थित  
क्रमांक : बा. / 2022 / 1278  
प्राथी

1. कुमाराम पुत्र वेहरम  
जानि जाट  
पटवार

24/08/2022

प्राथी वकील उपस्थित / विप्राथीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब दो माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्राथीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्राथीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्राथीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्राथी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्राथीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्राथी एवं विप्राथीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्राथी एवं विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
वायतु  
जिला - दाउनेर

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1278

दिनांक:- 24/08/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खुमाराम पुत्र वेहनाराम उर्फ बनाराम वगैरा 09,  
जाति जाट, निवासी दर्जियों की बेरी,  
पटवार मण्डल लापुन्दडा,  
तहसील गिडा (बाड़मेर)

1. अमराराम पुत्र गेनाराम वगैरा 31,  
जाति जाट, निवासी दर्जियों की बेरी,  
पटवार मण्डल लापुन्दडा,  
तहसील गिडा (बाड़मेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 284 / 2022

#### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - दर्जियों की बेरी, पटवार हल्का - लापुन्दडा, तहसील - गिडा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 585 रकबा 33.2408 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / वाद / 2022 / 1279-83

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी मण्डल लापुन्दडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खुमाराम पुत्र वेहनाराम उर्फ बनाराम वगैरा 09,
4. विप्रार्थी श्री अमराराम पुत्र गेनाराम वगैरा 31,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिडा / नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 24/08/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला बाड़मेर